राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3407/2025

नारायण सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.07.2025
आदेश की दिनांक : 18.07.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्ष 1998 में जिला प्रतापगढ़ (पूर्व में चित्तौड़गढ़, किन्तु सीमाओं के पुनर्गठन तथा नए जिले अर्थात प्रतापगढ़ के निर्माण के बाद) से पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुआ था तथा वर्तमान में आरपीएल–प्रतापगढ़ में कार्यरत है। वर्ष 2024 में प्रतापगढ़ में कार्य करते समय, पुलिस अधीक्षक–प्रतापगढ़ ने दिनांक 12.11.2024 को एक कार्यालय आदेश जारी किया था, जिसके तहत उन्हें विभागीय कार्यवाही के विचार की आड़ में निलंबित रखा गया था। अपीलार्थी 12.11.2024 से निलंबित है और आज तक जारी है। अपीलार्थी ने निलंबन रद्द करने के लिए बार–बार प्रतिवादियों से संपर्क किया। अपीलार्थी ने आरसीए (सीसीए) नियम, 1958 के नियम 22 के तहत एलडी अपीलीय प्राधिकारी से भी संपर्क किया और दिनांक 24.02.2025 तक अभ्यावेदन/अपील दायर की और एलडी प्राधिकारी से अपीलार्थी का निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया। अपीलकर्ता के निलंबन आदेश की समीक्षा हेतु अभ्यावेदन दिनांक 24.02.2025 को प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। (अनुलग्नक–2) दिनांक 12.11.2024 का आक्षेपित आदेश एक अस्पष्ट आदेश है जो तथ्यों की विषयवस्तु पर विचार किए बिना और अपीलार्थी को सुनवाई का

कोई उचित अवसर दिए बिना जारी किया गया है। अपीलार्थी को निलंबित हुए 9 महीने से अधिक समय हो गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 12.11.2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं उसे सभी परिणामी लाभों के साथ निरंतर लाभ सेवा मानते हुए सेवा में पुनः बहाल किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष